

सारणी 1:- विभिन्न वर्गों में आरक्षण हेतु सारणियाँ

सारणी-1(क) सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%		अनुसूचित जनजाति (ST) 12%		नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) 21%		अति पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer MBC) 5%		आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section EWS) 10% *		सामान्य अभ्यर्थी (General)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
20	02	01	01	01	03	01	01	--	1	1	08	02
30	04	01	02	01	04	02	02	--	2	1	10	04
40	04	02	04	01	06	02	02	--	3	1	15	04
60	08	02	05	02	09	03	02	01	4	2	21	07

सारणी-1(ख) महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%	अनुसूचित जनजाति (ST) 12%	नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) 21%	अति पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer MBC) 5%	आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section EWS) 10% *	सामान्य अभ्यर्थी (General)
20	3	2	4	1	2	10
30	5	3	6	2	3	14
40	6	5	8	2	4	19
60	10	07	12	3	6	28

सारणी-1(ग) निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%		अनुसूचित जनजाति (ST) 12%		नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) 21%		अति पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer MBC) 5%		आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section EWS) 10% *		सामान्य अभ्यर्थी (General)		मैनेजमेन्ट सीट (संस्था स्तर पर प्रवेश)
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
60 (51+9)	06	02	04	02	08	03	02	01	04	01	18	05	9

* कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 110/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि /19/14278 दिनांक 12.03.2019 एवं AICTE द्वारा प्राप्त E.O.A. की अनुपालना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता से 10 प्रतिशत अधिसंख्य (Super Numerary) स्थानों पर प्रवेश आरक्षित होगा।